Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAIPUR-II

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)   Print Date : 10-06-2026 2:15 PM

Fee Receipt No	: 202602016015121	Receipt Date	: 10/06/2026
Name	: KARMANAY REAL ESTATE LLP THRU ITS PARTNER VIKAS DIXIT,	Document S. No.	: 202601016013159
Address	: 142 ,MILAP NAGAR, JAIPUR ,JAIPUR		
Document Type	: Sale Deed		
Face Value	: ₹ 34083192	Evaluated Value	: ₹ 7770000

Ord-Registration Fee	: ₹ 340832	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 500	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 674847	Stamp Duty	: ₹ 2044992
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 5000
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
SiteInspection Fees	: 1500	**Cash Amount Received**	: **₹ 0**
		Other than Cash	: **₹ 3067671**
		Total Amount	: **₹ 3067671**

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

eStamp IN-RJ83971705878050Y ₹ 2719839 # e-Registration Receipt RJ1349491611395 ₹ 347832

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

Government of Rajasthan
e-Registration Fee Receipt

SECOND COPY

O Unique ID	203100000000000R	Receipt Date	10-JUN-2026 13:34
S R Location	JAIPUR-II		
Receipt No	RJ1349491611395		
Name Of Seller	PADMA BABEL		
Name Of Buyer	KARMANAY REAL ESTATE LLP		
Type of Document	21(I) - Sale Deed (Conveyance Deed)		
ACC Reference	NONSH/SARVESH SHARMA/BANI PARK		

Paid Fees

Particulars	Amount (Rs.)	Particulars	Amount (Rs.)
Registration Fees	₹ 340832	CSI	₹ 500
Copy of Fees	₹ 0	Record Inspection Fees	₹ 0
Late Fees	₹ 0	Commission Fees	₹ 5000
Other Charges	₹ 1500		
Total Amount	**₹ 347832**	**Service Charges**	**₹ 40**
Grand Total	**₹ 347872**		

(Rupees Three Lakh Forty-Seven Thousand Eight Hundred Seventy-Two Only)

Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at www.shcilestamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.

उप पंजीयक, जयपुर (द्वितीय) SUB-REGISTRAR, JAIPUR-II

Surcharge for Relief from Natural and Man Made Calamities (Rs.)

IN-RJ83971705878050Y

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-RJ83971705878050Y
Certificate Issued Date	:	10-Jun-2026 01:34 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ rj3081504/ JAIPUR/ RJ-JP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-RJRJ308150443839739099327Y
Purchased by	:	KARMANAY REAL ESTATE LLP
Description of Document	:	Article 21(i) Sale Deed (Conveyance Deed)
Property Description	:	KH NO 93 AND OTHERS VILLAGE HUKKAN TEHSIL CHAKSU JAIPUR
Consideration Price (Rs.)	:	3,40,83,192 (Three Crore Forty Lakh Eighty Three Thousand One Hundred And Ninety Two only)
First Party	:	PADMA BABEL
Second Party	:	KARMANAY REAL ESTATE LLP
Stamp Duty Paid By	:	KARMANAY REAL ESTATE LLP
Stamp Duty Payable (Rs.)	:	20,44,992 (Twenty Lakh Forty Four Thousand Nine Hundred And Ninety Two only)
Surcharge for Infrastructure Development (Rs.)	:	2,65,849 (Two Lakh Sixty Five Thousand Eight Hundred And Forty Nine only)
Surcharge for Propagation and Conservation of Cow (Rs.)	:	2,04,499 (Two Lakh Four Thousand Four Hundred And Ninety Nine only)
Surcharge for Relief from Natural and Man-made Calamities (Rs.)	:	2,04,499 (Two Lakh Four Thousand Four Hundred And Ninety Nine only)
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	27,19,839 (Twenty Seven Lakh Nineteen Thousand Eight Hundred And Thirty Nine only)

उप पंजीयक, जयपुर (द्वितीय)
SUB-REGISTRAR, JAIPUR-II

OG 0001913659

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

उप पंजीयक, जयपुर (द्वितीय) (राज.)
SUB-REGISTRAR, JAIPUR-II

Warning

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence."

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."

|| श्री ||

— : विक्रय–पत्र : —

यह विक्रय–पत्र आज दिनांक 08 जून 2026 ईस्वी को **श्रीमती पदमा बाबेल** आयु 59 वर्ष (आधार नम्बर [redacted] 2860) पत्नी श्री संजय बाबेल, जाति जैन, निवासिनी– प्लाट नम्बर 8 बी, पार्श्वनाथ, कांचीपुरम के पास, पुराना बीएसएल मार्ग, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान के है जिन्हें इस विक्रय–पत्र के लेख में नीचे प्रथमपक्ष विक्रेत्री शब्द से सम्बोधित किया

For Karmanay Real Estate LLP
Designated Partner

For Karmanay Real Estate LLP
Designated Partner

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

गया है और इसमें प्रथमपक्ष विक्रेत्री है (इस विक्रेत्री शब्द में विक्रेत्री के समस्त वारिसान, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न इत्यादि सम्मिलित है तथा भविष्य में रहेंगे) की ओर से :–

ब ह क

KARMANAY REAL ESTATE LLP पंजीकृत कार्यालय–27, नारायण नगर, टोंक रोड़, दुर्गापुरा, बजाज नगर, जयपुर, राजस्थान जरिये साझेदार (1) श्री मोहित विजयवर्गीय आयु 33 वर्ष (आधार नम्बर[redacted]2233) पुत्र श्री रामनिरंजन विजयवर्गीय, जाति महाजन, निवासी– प्लाट नम्बर सी–14–बी, विज्ञान नगर, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान–302017 (2) श्री विकास दीक्षित आयु 52 वर्ष (आधार नम्बर[redacted]1329) पुत्र श्री गिरीश दीक्षित, जाति ब्राह्मण, निवासी– प्लाट नम्बर 142, मिलाप नगर, टोंक रोड़, जयपुर, राजस्थान–302018 के है जिन्हें इस विक्रय–पत्र के लेख में नीचे द्वितीयपक्ष क्रेता फर्म शब्द से सम्बोधित किया गया है और इसमें द्वितीयपक्ष क्रेता फर्म है (इस द्वितीयपक्ष क्रेता फर्म शब्द में फर्म के समस्त साझेदार, अंशधारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न, अधिकार दातागण इत्यादि सम्मिलित हैं तथा भविष्य में रहेंगे) के हित मे निम्न प्रकार से लेखबद्व किया जाता है कि :–

जो कि ग्राम हुक्कण, तहसील चाकसू, जिला जयपुर में स्थित आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि के अन्तर्गत खसरा नम्बर 93 रकबा 0.4700 हैक्टेयर (4700 वर्गमीटर), खसरा नम्बर 94 रकबा 0.0600 हैक्टेयर (600 वर्गमीटर), खसरा नम्बर 95 रकबा 0.0400 हैक्टेयर (400 वर्गमीटर), खसरा नम्बर 98 रकबा 0.0800 हैक्टेयर (800 वर्गमीटर), खसरा नम्बर 99 रकबा 0.0600 हैक्टेयर (600 वर्गमीटर), खसरा नम्बर 100 रकबा 0.0500 हैक्टेयर (500 वर्गमीटर), खसरा नम्बर 103 रकबा 0.0700 हैक्टेयर (700 वर्गमीटर), खसरा नम्बर 104 रकबा

For Karmanay Real Estate LLP
Designated Partner

For Karmanay Real Estate LLP
Designated Partner

आज सोमवार दिनांक 08 माह 06 सन् 2026 को

समय दुपहर के मध्य श्री / श्रीमती / सुश्री पदमा बाबेल

पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री संजय बाबेल 59 वर्ष,

प्लाट नम्बर 8 B, पार्श्वनाथ, कांची पुरम के पास

नम्बर सम्मुख झुराना BSNL मार्ग भीलवाड़ा, हाल नि० जयपुर

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

SUB-REGISTRAR, JAIPUR

Fees Receipt Endorsement Print Date: 6/10/2026 2:26:38 PM

रसीद नं.	202602016015121
दिनांक	10-06-2026
पंजीयन शुल्क ₹	340832
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	500
अन्य शुल्क ₹	5000
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	2044992
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	674847
मौका निरीक्षण शुल्क ₹	1500
कुल योग	3067671

202601016013159

Sale Deed (Conveyance Deed)

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Registration Receipt
RJ1349491611395 ₹ 347832 # eStamp
IN-RJ83971705878050Y ₹ 2719839

उप पंजीयक JAIPUR-II

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

0.0200 हैक्टेयर (200 वर्गमीटर), खसरा नम्बर 105 रकबा 0.2300 हैक्टेयर (2300 वर्गमीटर), खसरा नम्बर 313 रकबा 0.0300 हैक्टेयर (300 वर्गमीटर), कुल किता 10 कुल रकबा 1.1100 हैक्टेयर (11100 वर्गमीटर) भूमि सम्पूर्ण की खातेदारी श्री राजेश पुत्र बत्तुलाल, जाति मीणा, निवासी– 181, हिम्मत नगर, गोपालपुरा मोड़, जयपुर के नाम से समस्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज एवं अंकित चली आ रही थी और उक्त खातेदार ने अपनी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजनार्थ अर्थात आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण बाबत न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चाकसू, जिला जयपुर के आवेदन किये जाने पर रूपान्तरण बाबत चाही गई राशिया मूल खातेदार श्री राजेश द्वारा राज कोष में जमा कराये जाने पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ख के प्रावधानो के अधिन आवासीय प्रयोजनार्थ जरिये प्रकरण संख्या 01/2011 के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 10/01/2011 को न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चाकसू, जिला जयपुर द्वारा रूपान्तरित कर दी गई है और कार्यालय नगर पालिका द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ख की उपधारा 3 के अन्तर्गत नगर पालिका मण्डल चाकसू, जिला जयपुर के द्वारा उपरोक्त वर्णित रूपान्तरित भूमि में से 40 प्रतिशत भूमि सुविधा क्षेत्र के बाबत छोड़ी जाकर शेष 60 प्रतिशत भूमि को भूखण्डो में विभाजित कर दिया है।

यह कि खातेदार श्री राजेश ने उपरोक्त वर्णित रूपान्तरित भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र निष्पादित दिनांक 27/05/2015 को श्री संजय बाबेल पुत्र श्री जसवन्त सिंह बाबेल निवासी– सी–172, काशीपुरी, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा को विक्रय कर दिया, यह विक्रय–पत्र वास्ते पंजीयन उपपंजीयक चाकसू, जिला जयपुर के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसका

For Karmanay Real Estate LLP
Designated Partner

For Karmanay Real Estate LLP
Designated Partner

Endorsement of Execution Print Date: 6/10/2026 2:27:05 PM

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री SMT PADMA BABEL , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SANJAY BABEL, व्यवसाय Housewifeजाति 0-JAIN House No.: 8-B, Colony: PARASVANATH, NEAR KANCHIPURAM, Area: OLD BSL ROAD, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Executant Age : 59 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री KARMANAY REAL ESTATE LLP THRU ITS PARTNER MOHIT VIJAYVERGIYA, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री RAM NIRANJAN VIJAYVERGIYA, व्यवसाय Otherजाति 0-MAHAJAN House No.: C-14-B, Colony: VIGYAN NAGAR , Area: JAGATPURA, City: JAIPUR, Pin code: 302017, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 34 Signature :
3	श्री/श्रीमती/सुश्री KARMANAY REAL ESTATE LLP THRU ITS PARTNER VIKAS DIXIT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री GIRISH DIXIT, व्यवसाय Otherजाति 0-BRAHMIN House No.: 142, Colony: MILAP NAGAR, Area: TONK ROAD, City: JAIPUR, Pin code: 302018, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 52 Signature :

ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance Deed) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि रू 34083192/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रू 34083192/- पूर्व में -------------- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री SHREYANSH BABEL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SANJAY BABEL जाति JAIN Age: 29 Add: House No.: B-8, Colony: PARASVANATH, NEAR KANCHIPURAM, Area: OLD BSL ROAD, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAM SAHAY MEENA, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री BHOMA RAM MEENA जाति MEENA Age: 52 Add: House No.: 00, Colony: VILLAGE HUKKAN , POST NIMODIYA, Area: CHAKSU, City: JAIPUR, Pin code: 303901, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

रजिस्ट्रेशन नम्बर 2015000526８ बुक नम्बर 1 वोल्यूम नम्बर 408 के पेज नम्बर 18 पर दिनांक 04/06/2015 को नियमानुसार दर्ज एवं पंजीबद्व किया गया है, जिसकी कॉपी अतिरिक्त बुक नम्बर 1 वोल्यूम नम्बर 1429 के पेज नम्बर 133 से 142 पर चस्पा किया गया है। बाद खरीद श्री संजय बाबेल ने उपरोक्त वर्णित भूमि को अपनी धर्मपत्नी श्रीमती पदमा बाबेल अर्थात प्रथमपक्ष विक्रेत्री को जरिये रजिस्टर्ड उपहार–पत्र निष्पादित दिनांक 23/04/2026 को उपहार कर दिया, यह उपहार–पत्र वास्ते पंजीयन उपपंजीयक सांगानेर प्रथम जिला जयपुर के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर 202603024105295 बुक नम्बर 1 वोल्यूम नम्बर 1564 के पेज नम्बर 111 पर दिनांक 27/04/2026 को नियमानुसार दर्ज एवं पंजीबद्व किया गया है, जिसकी कॉपी अतिरिक्त बुक नम्बर 1 वोल्यूम नम्बर 5852 के पेज नम्बर 377 से 389 पर चस्पा किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित रूपान्तरित भूमि की प्रथमपक्ष विक्रेत्री बिना किसी अन्य व्यक्ति के सीर व साझे के एकमात्र मालकिन, स्वामिनी, काबिज, अधिकारिणी चली आ रही है तथा उपरोक्त वर्णित रूपान्तरित भूमि को प्रथमपक्ष विक्रेत्री ने आज तक राज्य सरकार व अर्द्वसरकारी संस्थाओं व जन साधारण के हित में रहन, बय, आदि नहीं की है ना ही अन्य किसी दीगर तरीके से रहन, बय तथा हस्तान्तरित आदि की है, उपरोक्त वर्णित रूपान्तरित भूमि हर प्रकार के झगडों व टन्टों से मुक्त एवं पवित्र है तथा प्रथमपक्ष विक्रेत्री को उपरोक्त वर्णित रूपान्तरित भूमि को प्रत्येक प्रकार से विकसित करने व प्रत्येक प्रकार से अन्य व्यक्तियो के हित मे रहन बय विक्रय करने एवम् हर प्रकार से हस्तान्तरण करने के सम्पूर्ण वैधानिक अधिकार एवं स्वत्वाधिकार तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त है और प्रथमपक्ष विक्रेत्री हर प्रकार से हस्तान्तरित करने के लिए सक्षम है।

For Karmanay Real Estate LLP

Designated Partner

For Karmanay Real Estate LLP

Designated Partner

Under 54 Endorsement Print Date: 6/10/2026 3:46:26 PM

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 34083192 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 2044992 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 340832, सरचार्ज राशि 674847 कुल रु 3060671 रसीद संख्या 202602016015121 दिनांक 10-06-2026 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रु 2044992 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

202601016013159

उप पंजीयक, JAIPUR-II

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

Registration Endorsement Print Date: 6/10/2026 3:46:26 PM

आज दिनांक 10/06/2026 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1775 में
पृष्ठ संख्या 159 क्रम संख्या 202603016110749 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 7088 के
पृष्ठ संख्या 191 से 206 पर चस्पा किया गया।

202601016013159

उप पंजीयक, JAIPUR-II

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

यह कि प्रथमपक्ष विक्रेत्री को अपनी निजी व पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये रूपयो की आवश्यकता होने के कारण उक्त वर्णित आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि खसरा नम्बर 93 रकबा 0.4700 हैक्टेयर (4700 वर्गमीटर), खसरा नम्बर 94 रकबा 0.0600 हैक्टेयर (600 वर्गमीटर), खसरा नम्बर 95 रकबा 0.0400 हैक्टेयर (400 वर्गमीटर), खसरा नम्बर 98 रकबा 0.0800 हैक्टेयर (800 वर्गमीटर), खसरा नम्बर 99 रकबा 0.0600 हैक्टेयर (600 वर्गमीटर), खसरा नम्बर 100 रकबा 0.0500 हैक्टेयर (500 वर्गमीटर), खसरा नम्बर 103 रकबा 0.0700 हैक्टेयर (700 वर्गमीटर), खसरा नम्बर 104 रकबा 0.0200 हैक्टेयर (200 वर्गमीटर), खसरा नम्बर 105 रकबा 0.2300 हैक्टेयर (2300 वर्गमीटर), खसरा नम्बर 313 रकबा 0.0300 हैक्टेयर (300 वर्गमीटर), कुल किता 10 कुल रकबा 1.1100 हैक्टेयर (11100 वर्गमीटर) भूमि सम्पूर्ण वाके ग्राम हुक्कण, तहसील चाकसू, जिला जयपुर में स्थित सम्पूर्ण स्वत्वाधिकारो व मालिकाना हको सहित बिना रखे किसी हक व अंश के तथा रूपान्तरण आदेश के सभी अधिकारो व आंवटन के सभी अधिकारो सहित को कुल मुबलिग 3,40,83,192/–रूपये अक्षरे तीन करोड़ चालीस लाख तियासी हजार एक सौ बानवे रूपये की ऐवज में द्वितीयपक्ष क्रेता फर्म **KARMANAY REAL ESTATE LLP** पंजीकृत कार्यालय–27, नारायण नगर, टोंक रोड़, दुर्गापुरा, बजाज नगर, जयपुर, राजस्थान जरिये साझेदार (1) श्री मोहित विजयवर्गीय आयु 33 वर्ष (आधार नम्बर [redacted]2233) पुत्र श्री रामनिरंजन विजयवर्गीय, जाति महाजन, निवासी– प्लाट नम्बर सी–14–बी, विज्ञान नगर, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान–302017 (2) श्री विकास दीक्षित आयु 52 वर्ष (आधार नम्बर [redacted]1329) पुत्र श्री गिरीश दीक्षित, जाति ब्राह्मण, निवासी– प्लाट नम्बर 142, मिलाप नगर, टोंक रोड़, जयपुर, राजस्थान–302018 को अन्तिम रूप से विक्रय कर दी है अर्थात बेच दी है तथा विक्रय मूल्य राशि 3,40,83,192/–रूपये अक्षरे

For Karmanay Real Estate LLP
Designated Partner

For Karmanay Real Estate LLP
Designated Partner

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

तीन करोड़ चालीस लाख तियासी हजार एक सौ बानवे रूपये प्रथमपक्ष विक्रेत्री ने द्वितीयपक्ष क्रेता फर्म से निम्न प्रकार प्राप्त कर लिये है :–

S.No	RTGS/IMPS/ Cheque No.	Date	Consideration	Drawn on
1	RTGS UTR No. AUBLR6202605 2724474641	27-05-2026	20,00,000/-	AU Small Finance Bank
2	RTGS UTR No. AUBLR6202605 2724475235	27-05-2026	20,00,000/-	AU Small Finance Bank
3	IMPS UTR No. 614716340814	27-05-2026	50,000/-	AU Small Finance Bank
4	RTGS UTR No. AUBLR6202605 2724479389	27-05-2026	20,00,000/-	AU Small Finance Bank
5	RTGS UTR No. AUBLR6202605 2724479495	27-05-2026	20,00,000/-	AU Small Finance Bank
6	RTGS UTR No. AUBLR6202605 2724479695	27-05-2026	20,00,000/-	AU Small Finance Bank
7	RTGS UTR No. AUBLR6202605 2724480573	27-05-2026	20,00,000/-	AU Small Finance Bank
8	RTGS UTR No. AUBLR6202605 2724480319	27-05-2026	20,00,000/-	AU Small Finance Bank
9	RTGS UTR No. AUBLR6202605 2724481999	27-05-2026	19,50,000/-	AU Small Finance Bank
10	RTGS UTR No.	27-05-2026	20,00,000/-	AU Small Finance

For Karmanay Real Estate LLP
Designated Partner

For Karmanay Real Estate LLP
Designated Partner

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

	AUBLR6202605 2724481044			Bank
11	RTGS UTR No. AUBLR6202605 2724480393	27-05-2026	20,00,000/-	AU Small Finance Bank
12	RTGS UTR No. AUBLR6202605 2924520592	27-05-2026	17,42,360/-	AU Small Finance Bank
13	RTGS UTR No. AUBLR6202605 2724482585	27-05-2026	20,00,000/-	AU Small Finance Bank
14	RTGS UTR No. AUBLR6202606 0124565541	01-06-2026	50,00,000/-	AU Small Finance Bank
15	RTGS UTR No. AUBLR6202606 0324638980	03-06-2026	50,00,000/-	AU Small Finance Bank
16	TDS		3,40,832/-	
		Net Sale Consideration	3,40,83,192/-	

इस प्रकार सम्पूर्ण विक्रय मूर्ल्य विक्रय मूल्य राशि 3,40,83,192/–रूपये अक्षरे तीन करोड़ चालीस लाख तियासी हजार एक सौ बानवे रूपये प्रथमपक्ष विक्रेत्री ने द्वितीयपक्ष क्रेता फर्म से उपर वर्णित अनुसार प्राप्त कर लिये है। जिसकी प्राप्ति की पुष्टि प्रथमपक्ष विक्रेत्री इस लेख में करती है तथा प्रथमपक्ष विक्रेत्री को द्वितीयपक्ष क्रेता फर्म से विक्रय मूल्य राशि में कुछ भी लेना शेष नही रहा है।

यह कि प्रथमपक्ष विक्रेता ने उपरोक्त वर्णित विक्रय की गई भूमि जिसका 1.1100 हैक्टेयर (11100 वर्गमीटर) जो आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि है पर से अपना वास्तविक रूप से कब्जा हटाकर द्वितीयपक्ष क्रेता का मौके पर

For Karmanay Real Estate LLP
Designated Partner

For Karmanay Real Estate LLP
Designated Partner

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

बहैसियत मालिकाना हको से कब्जा संभला दिया है और अपने समान विक्रयशुदा भूमि का मालिक, स्वामी, काबिज, अधिकारी बना दिया है तथा विक्रयशुदा भूमि से सम्बन्धित समस्त स्वत्वाधिकार व मालिकाना हक हकूक सब प्रथमपक्ष विक्रेता ने आज इस विक्रय–पत्र के लेख के माध्यम से द्वितीयपक्ष क्रेता को हस्तान्तरित कर दिये है तथा द्वितीयपक्ष क्रेता क्रयशुदा भूमि को अपने धन से विकसित करे तथा नियमानुसार कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर, नगर निगम जयपुर, जिलाधीश कार्यालय, तहसील, निजाम इत्यादि में अपने नाम से हस्तान्तरण करावे, नक्शा अनुमोदन करावे व नक्शे अनुमोदन बाबत देय राशिया अपने नाम से जमा करावे तथा नक्शा रिवाईज करावे तथा आवासीय उपयोग बाबत निर्माण कार्य करे, भूमि को विकसित करे तथा प्रत्येक प्रकार से उपयोग व उपभोग में लेवे तथा उपरोक्त वर्णित आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि का एकल पट्टा या भिन्न भिन्न भूखण्डो में विभाजित करके पट्टे जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर से प्राप्त करे तथा पट्टे के पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण करे तथा उक्त आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि को प्रत्येक प्रकार से अपने उपयोग व उपभोग में लेवे, आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में लेवे तथा अन्य किसी दीगर व्यक्ति, संस्था कम्पनी इत्यादि को रहन, बय, विक्रय, हस्तान्तरण, बख्शीश आदि करके प्रत्येक प्रकार का लाभ अर्जित करे, इसमें प्रथमपक्ष व प्रथमपक्ष के वारिसान को किसी प्रकार का उज्र व ऐतराज करने का अधिकार नहीं होगा।

यह कि विक्रयशुदा भूमि के सम्बन्ध में प्रथमपक्ष विक्रेता के वारिसान , उत्तराधिकारी, स्थानापन्न, प्रतिनिधि, अधिकारदातागण इत्यादि द्वारा भविष्य में किसी प्रकार की कोई मांग उज्र व दावेदारी करते है अथवा किसी प्रकार का झगड़ा–टन्टा, वाद –विवाद उत्पन्न करते है तो ऐसे तमाम विवादो के निपटारे व अदायगी की तमाम जिम्मेदारी प्रथमपक्ष विक्रेता की स्वयं की होगी जिसके लिए प्रथमपक्ष विक्रेता बाध्य व पाबन्द है तथा भविष्य में रहेगा।

For Karmanay Real Estate LLP
Designated Partner

For Karmanay Real Estate LLP
Designated Partner

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

यह कि विक्रय शुदा उपरोक्त वर्णित आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि सम्पूर्ण अथवा इसका कोई भाग व अंश प्रथमपक्ष विक्रेता के स्वत्वाधिकारो व खातेदारी अधिकारो की त्रुटियों व दोष के कारण या किसी दावेदारी के कारण से द्वितीयपक्ष क्रेता के कब्जे व अधिकार से सम्पूर्ण अथवा इसका कोई भाग निकल जावे या द्वितीयपक्ष क्रेता को प्रथमपक्ष विक्रेता की ओर का कोई ऋण भार चुकाना पडे तो द्वितीयपक्ष क्रेता को पूर्ण अधिकार होगा कि वह अपना दिया हुआ सम्पूर्ण मूल्य धनराशि मय हानि व व्यय व आर्थिक हानि प्रथमपक्ष विक्रेता से तथा प्रथमपक्ष विक्रेता की अन्य चल व अचल सम्पत्तियो से एकमुश्त उस समय के बाजार भाव से वसूल कर सकेगें इसमे प्रथमपक्ष विक्रेता के वारिसान, उत्तराधिकारी आदि को कोई किसी प्रकार का उज्र व ऐतराज नही होगा । इस सम्बन्ध मे किया हुआ उज्र व ऐतराज राज्य सरकार व न्यायालय तथा पंच पंचायत मे झूठा होगा और इस विक्रय पत्र के विरूद्व अमान्य व झूठा होगा।

यह कि विक्रयशुदा आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि के सम्बन्ध में आज से पूर्व का कोई किसी प्रकार का झगड़ा–टन्टा, वाद–विवाद, ऋण–भार, सरकारी व गैर सरकारी, जनसाधारण बैंक इत्यादि की ओर का बकाया निकलेगा तो ऐसे तमाम विवादो के निपटारे व अदायगी की तमाम जिम्मेदारी प्रथमपक्ष विक्रेता की स्वयं की होगी जिसके लिये प्रथमपक्ष विक्रेता के वारिसान, उत्तराधिकारी आदि बाध्य व पाबन्द है तथा भविष्य में रहेगें।

यह कि उपरोक्त वर्णित बेची हुई आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि से अब प्रथमपक्ष विक्रेता का तथा उसके प्रतिनिधि, वारिसान, उत्तराधिकारी आदि का कोई किसी प्रकार का सम्बन्ध व वास्ता नही रहा है ओर न भविष्य में किसी प्रकार का होगा। इस विक्रय से प्रथमपक्ष विक्रेता के समस्त वारिसान, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि आदि पाबन्द रहेगें।

For Karmanay Real Estate LLP
Designated Partner

For Karmanay Real Estate LLP
Designated Partner

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

यह कि विक्रय शुदा उपरोक्त वर्णित भूमि का इस विक्रय–पत्र के लेख के आधार पर द्वितीयपक्ष क्रेता को नामान्तरकरण अपने स्वयं के हक में भरवाने व तस्दीक करा लेने का पूरा–पूरा अधिकार होगा और राजस्व रिकार्ड खाना खातेदारी में द्वितीयपक्ष क्रेता को अपना नाम दर्ज कराने का आज से पूर्णतया अधिकार प्राप्त हो गये हैं व भविष्य में रहेंगे और यदि नामान्तरकरण भरवाने या अन्य किसी कार्यवाही में द्वितीयपक्ष क्रेता को प्रथमपक्ष विक्रेता के हस्ताक्षरों व बयानो की आवश्यकता होगी तो प्रथमपक्ष विक्रेता द्वितीयपक्ष क्रेता का पूर्ण सहयोग करने के लिये सदैव बाध्य रहेगा।

यह कि उपरोक्त वर्णित आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि को द्वितीयपक्ष क्रेता सम्बन्धित सरकारी कार्यालय जैसे उपखण्ड अधिकारी चाकसू, तहसील चाकसू, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर, नगर निगम, जयपुर, जिलाधीश कार्यालय इत्यादि में नियमानुसार आवेदन करके अपने नाम से हस्तान्तरण करावे तथा देय राशिया सम्बन्धित निकाय में जमा कराये व नक्शा अनुमोदन करावे और आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि का एकल पट्टा विलेख व भिन्न भिन्न भागो में विभक्त करके स्वयं या अन्य के नाम पट्टे प्राप्त करे तथा पट्टो के पंजीयन की तकमील पूर्ण करे और उक्त कार्यवाही बाबत द्वितीयपक्ष को प्रथमपक्ष के हस्ताक्षरो व बयानो की आवश्यकता होगी तो प्रथमपक्ष विक्रेता बिना किसी मांग व उज्र के द्वितीयपक्ष का सम्पूर्ण लिखित व मौखिक सहयोग प्रदान करेगा, जिसके लिये प्रथमपक्ष बाध्य व पाबन्द है तथा भविष्य में रहेगा।

यह कि विक्रय–पत्र का समस्त प्रकार का खर्चा द्वितीयपक्ष क्रेता फर्म के जिम्मे तय पाया गया है जो अलावा विक्रय मूल्य राशि के वहन किया है।

अतः यह विक्रय–पत्र प्रथमपक्ष विक्रेता ने अपनी स्वेच्छा तथा स्वस्थ इन्द्रियो की अवस्था में बिना किसी जब्र व दबाव के प्रसन्न चित्त से बिना किसी मादक वस्तु सेवन किए ग्यारह पेपरों पर उक्त द्वितीयपक्ष क्रेता के हित मे

For Karmanay Real Estate LLP — Designated Partner

For Karmanay Real Estate LLP — Designated Partner

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

तहरीर व तकमील कराकर उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण इबारत को भली प्रकार से पढकर व सुन व समझ कर तथा स्वीकार करके अपने हस्ताक्षर निम्न गवाहान के समक्षकर दिये कि समय पर काम आवे तथा प्रमाण रहे वक्त-जरूरत काम आवे। इति0 दिनांक 08/06/2026 ईस्वी।

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष विक्रेत्री :-

(पदमा बाबेल)
PAN:-AJRPB4861A

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष क्रेता फर्म :-

For Karmanay Real Estate LLP
Designated Partner

For Karmanay Real Estate LLP
Designated Partner

(मोहित विजयवर्गीय) (विकास दीक्षित)
बहैसियत साझेदार
KARMANAY REAL ESTATE LLP
PAN:-ABFFK6318M

हस्ताक्षर गवाह 1:-

Shreyansh Babel s/o Sanjay Babel
B-8 Parasvanath Near Kanchipuram Old BSL Road Bhilwara Rajasthan - 311001

हस्ताक्षर गवाह 2:-

Ram Sahay Meena s/o Bhoma Ram Meena
Village Rhan Post Nimodiya Chaksu Jaipur Rajasthan - 303901

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : SANGANER-I

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)   Print Date : 24-04-2026 12:00 PM

Fee Receipt No	:	202602024008384	Receipt Date	:	24/04/2026
Name	:	SANJAY BABEL	Document S. No	:	202601024006246
Address	:	8-B ,PARASVNATH OLD BSI ROAD, NEAR KACHIPURAM ,BHILWARA ,BHILWARA			
Document Type	:	Gift Deed			
Face Value	:	₹ 0	Evaluated Value	:	₹ 4662000
Ord-Registration Fee	:	₹ 1000	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 500	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 0	Stamp Duty	:	₹ 0
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
SiteInspection Fees	:	0	**Cash Amount Received**	:	**₹ 0**
			Other than Cash	:	**₹ 1500**
			Total Amount	:	**₹ 1500**

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)   ***Rebate U/S 9(1) : ₹ 279720**

e-Registration Receipt RJ1035941142945 ₹ 1500

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक
सांगानेर–प्रथम

Government of Rajasthan
e-Registration Fee Receipt

FIRST COPY

SRO Unique ID	26042346506R	Receipt Date	24-APR-2026 10:02
S R Location	SANGANER-I		
Receipt No	RJ1035941142945		
Name Of Seller	SANJAY BABEL		
Name Of Buyer	SMT PADMA BABEL		
Type of Document	31 - Gift In Favour Of Wife		
ACC Reference	NONSH/RAMPRASAD SHARMA/SANGANER		

Paid Fees

Particulars	**Amount (Rs.)**	**Particulars**	**Amount (Rs.)**
Registration Fees	₹ 1000	CSI	₹ 500
Copy of Fees	₹ 0	Record Inspection Fees	₹ 0
Late Fees	₹ 0	Commission Fees	₹ 0
Other Charges	₹ 0		
Total Amount	**₹ 1500**	**Service Charges**	**₹ 10**
Grand Total	**₹ 1510**		

(Rupees One Thousand Five Hundred Ten Only)

Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at www.shcilestamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.

SUB-REGISTRAR SANGANER-I, JAIPUR

Government of Rajasthan

।। श्रीराम जी ।।

// उपहार पत्र //

(Gift Deed)

आज दिनांक 23 अप्रैल सन् 2026 ईस्वी को यह उपहार पत्र मै **संजय बाबेल** पुत्र श्री जसवंत सिंह बाबेल उम्र लगभग 59 वर्ष जाति जैन निवासी प्लाट नम्बर सी–172, काशीपुरी भीलवांडा हाल आबाद 8 बी, पार्श्वनाथ पुराना बीएसएल मार्ग काछीपुरम के पास भीलवाडा जिला भीलवाडा, राजस्थान प्रान्त, आधार कार्ड संख्या [redacted] 5132 (जिसे आगे उपहार–कर्ता कहा गया है) जो इस लेख्य पत्र का प्रथमपक्ष शब्द से सम्बोधित किया गया है, की ओर से **श्रीमती पदमा बाबेल** आयु लगभग 59 वर्ष पत्नि श्री संजय बाबेल जाति जैन निवासी प्लाट नम्बर 8 बी, पार्श्वनाथ, कांचीपुरम के पास पुराना बीएसएल मार्ग भीलवाडा, जिला भीलवाडा, राजस्थान प्रान्त–311001, आधार कार्ड संख्या [redacted] 2860 (जिन्हे आगे उपहार गृहिती कही गई है) जो इस लेख्य पत्र में द्वितीयपक्ष शब्द से सम्बोधित की गई है, के मध्य निम्न तथ्यो पर निष्पादित किया जाता है।

उप पंजीयक
सांगानेर–प्रथम

Continued:....2....

जो कि प्रथमपक्ष के स्वामित्व व अधिकार का वाके **ग्राम हुक्कण,** तहसील चाकसू, जिला जयपुर के अन्तर्गत रूपान्तरित खसरा नम्बर 93, 94, 95, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 313, **कुल किता 10 कुल रकबा 1.11 हैक्टयर संपूर्ण में से 60 प्रतिशत रूपान्तरित एरिया 7966 वर्गगज अर्थात 6660 वर्गमीटर** संपूर्ण स्थित हैं।

यह उल्लेखनी है कि खसरा नम्बर 93 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 98 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 99 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 100 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 103 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 104 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 105 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 313 रकबा 0.03 है0, कुल किता 10 कुल रकबा 1.11 हैक्टयर संपूर्ण की खातेदारी श्री राजेश मीणा पुत्र श्री बत्तु लाल मीणा जाति मीणा निवासी 181, हिम्मत नगर गोपालपुरा मोड जयपुर के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी।

इसके बाद उक्त वर्णित खातेदारी भूमि के खातेदार अधिकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ख की उपधारा 3 के अन्तर्गत नगर पालिका मंडल, चाकसू जयपुर को संम्पर्पित किये जाने पर धारा मुताबिक निर्णय रूपांतरित की जा चूकी है जिसका 40 प्रतिशत सड़क एवं सुविधा क्षेत्र नगरपालिका मंडल चाकसू जयपुर का रहेगा एवं 60 प्रतिशत क्षेत्र 6660 वर्गमीटर मूल खातेदार श्री राजेश मीणा के नाम से है।

तत्पश्चात् उक्त वर्णित रूपान्तरित खसरा नम्बरान् संपूर्ण का 60 प्रतिशत रूपान्तरित एरिया 7966 वर्गगज संपूर्ण को मूल खातेदार श्री राजेश मीणा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27 मई सन् 2015 ईस्वी को मुझ उपहार कर्ता ने क्रय कर उक्त खरीदशुद्वा वर्णित भूमि संपूर्ण का मौके पर भौतिक व वास्तविक कब्जा मय असल कागजात आदि प्राप्त कर उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक चाकसू (जयपुर) के यहॉ दिनांक 04 जून सन् 2015 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 408 में पेज संख्या 18 क्रम सख्या 20150005268 पर पंजीबद्व किया गया तथा अतिरक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द सख्या 1429 के पेज संख्या 133 से 142 पर नियमानुसार चस्पा किया गया।

Continued:....3...

Presentation Endorsement Print Date:4/24/2026 12:18:57 PM

आज दिनांक 24 माह 04 सन 2026 को 11:50 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SANJAY BABEL पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री JASWANT BABEL
उम्र 59 वर्ष, जाति 0-JAIN , व्यवसाय Other
निवासी House No.: 8-B, Colony: PARASVNATH,OLD BSI ROAD,
NEAR KACHIPURAM, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code:
311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

202601024006246

Gift in favour of wife

हस्ताक्षर उप पंजीयक
SANGANER-I

उप पंजीयक
सांगानेर—प्रथम

Fees Receipt Endorsement Print Date:4/24/2026 12:18:57 PM

रसीद नं.	202602024008384
दिनांक	24-04-2026
पंजीयन शुल्क ₹	1000
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	500
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	0
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	0
मौका निरीक्षण शुल्क ₹	0
कुल योग	1500

202601024006246

Gift in favour of wife

उप पंजीयक, SANGANER-I

उप पंजीयक
सांगानेर—प्रथम

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Registration Receipt
RJ1035941142945 ₹ 1500

इस प्रकार मुझ उपहार कर्ता प्रथमपक्ष उक्त वर्णित रूपान्तरित भूमि सम्पूर्ण का बिना किसी अन्य दीगर व्यक्ति के सीर व साझे के एकमात्र मालिक व स्वामी है एवं उक्त सम्पति को उपहार कर्ता ने आज पूर्व किसी अन्य दीगर व्यक्ति के हक में रहन, बैय, विक्रय, बख्शीश आदि नही किया हुआ है और ना ही इनका सौदा, करार, अनुबन्ध ही किसी अन्य दीगर व्यक्ति के हक में किया हुआ है। इसलिये उक्त वर्णित सम्पति को हर प्रकार से हस्तांतरित आदि करने के सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार उपहार कर्ता को प्राप्त है, जिसके लिये वह पूर्णतया स्वतन्त्र हैं।

चूँकि उक्त उपहार गृहिती **श्रीमती पदमा बाबेल** आयु लगभग 59 वर्ष पत्नि श्री संजय बाबेल जाति जैन निवासी प्लाट नम्बर 8 बी, पार्श्वनाथ, कांचीपुरम के पास पुराना बीएसएल मार्ग भीलवाडा, जिला भीलवाडा, राजस्थान प्रान्त–311001 की रहने वाली है। जो मुझ उपहार कर्ता प्रथमपक्ष की धर्मपत्नि है तथा उपहार कर्ता का उपहार गृहिती के प्रति अग्राध प्रेम स्नेह है। अतएव अपनी उक्त सम्पति का निम्न प्रकार से निवर्तन/उपहार करने का इच्छुक है:–

अतएंव यह उपहार पत्र साक्ष्यांकिता करते है कि :–

(1) यह कि मुझ उपहार कर्ता नैसर्गिक प्रेम एवं स्नेह से पूरित होकर उपरोंक्त जयपुर नगर चौकडी हवाली शहर जयपुर में उपरोक्त वर्णित वाके **ग्राम हुक्कण,** तहसील चाकसू, जिला जयपुर के अन्तर्गत रूपान्तरित खसरा नम्बर 93, 94, 95, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 313, **कुल किता 10 कुल रकबा 1.11 हैक्टयर संपूर्ण में से 60 प्रतिशत रूपान्तरित एरिया 7966 वर्गगज अर्थात 6660 वर्गमीटर संपूर्ण** को उपरोक्त वर्णित भूमि सें संबधित समस्त अधिकारों के साथ अपनी इच्छा से उक्त उपहार गृहिती पत्नि को उपहार करता हूँ, तथा अन्तरित, हस्तान्तरिक, अदायगी और उसकी पुष्टि करता है।

Continued:....4..

Endorsement of Execution Print Date:4/24/2026 12:18:57 PM

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री SANJAY BABEL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री JASWANT BABEL, व्यवसाय Otherजाति 0-JAIN House No.: 8-B, Colony: PARASVNATH,OLD BSI ROAD, NEAR KACHIPURAM, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN		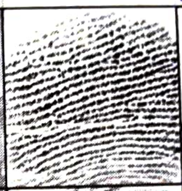	Presenter Age : 59 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री SMT PADMA BABEL, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री SANJAY BABEL, व्यवसाय Otherजाति 0-JAIN House No.: 8-B, Colony: PARASVANATH,NEAR KANCHIPURAM OLD BSI ROAD,, Area: BHILWARA, City: BHILWARA, Pin code: 311001, District: BHILWARA, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 59 Signature :

ने लेख्यपंत्र Gift in favour of wife को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि रू 0/- पूर्व में ·/ मेरे समक्ष / में से रू 0/- पूर्व में --------------- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMSINGH CHOUDHARY , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री GIRDHARI LAL CHOUDHARY जाति JAT Age: 37 Add: House No.: 0, Colony: WARD NO 6, Area: AMARPURA JAIPUR, City: JAIPUR, Pin code: 303804, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री ANIL VERMA , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ROSHAN LAL VERMA जाति DHOBI Age: 30 Add: House No.: 38, Colony: TIRUPATI BALAJI NAGAR , Area: KHOKAWAS SUKH VIHAR COLONY PRATAP NAGAR , City: JAIPUR, Pin code: 302033, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature

उप पंजीयक, SANGANER-I

202601024006246

Gift in favour of wife

उप पंजीयक
सांगानेर-प्र...

(2) यह कि उपहार कर्ता उक्त सम्पति (**उपरोक्त रूपान्तरित भूमि एरिया 7966 वर्गगज सम्पूर्ण** का एक मात्र मालिक उपहार गृहिती हो गयी है) एवं उसे उक्त सम्पति सम्पूर्ण को उपहार करने, हस्तान्तरित करने, अन्तरित, करने तथा निवर्तन करने का अधिकार है एवं एतवद्वारा अपने अधिकारों को प्रयोग करते हुए वह उपहार गृहिती के पक्ष मे बिना प्रतिफल राशि के उक्त सम्पति का निवर्तन, हस्तान्तरण अन्तरण करता हूँ तथा उक्त सम्पति पर उपहार गृहिती को सदैव शांति पूर्वक और निश्चित रूप से प्रवेश करने, अपने पास रखने, धारण करने, उस पर आधिपत्य रख सकने एवं उसे उपयोग और उपभोग में लाने का अधिकार होगा ।

(3) यह कि उपहार गृहिती ने उपरोक्त वर्णित **रूपान्तरित भूमि एरिया 7966 वर्गगज** संपूर्ण को उपहार लेना स्वीकार व मान्य करती है।

(4) यह कि उपहार की गई उक्त सम्पति सम्पूर्ण में प्रथमपक्ष का अन्य कोई साझी या हिस्सेदार नहीं है, यदि भविष्य में कोई साझी व हिस्सेदार बनकर इस उपहार की गई सम्पति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई दावा या विवाद उत्पन्न करेगा तो इस उपहार पत्र पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पडेगा।

(5) यह कि उपहार की गई उक्त सम्पति जयपुर नगर चौकडी हवाली शहर जयपुर मे **रूपान्तरित भूमि एरिया 7966 वर्गगज सम्पूर्ण** को उपहार–गृहिती अपने नाम से इस लेख्य पत्र में आधार पर नगर–निगम, नगर पालिका, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर, समिति कार्यालय एवं अन्य संस्थान/विभाग आदि में अंकित करावें तो मुझ उपहार–कर्ता को किसी प्रकार कि कोई आपप्ति नही है। जिसमें उपहार कर्ता के लिखित व मौखिक बयान हस्ताक्षर आदि कि आवश्यकता होने पर या उपस्थित होने के लिये इस लेख्य पत्र में पूर्णरूप से पाबन्द हूँ।

(6) यह कि इस लेख्य पत्र की द्वितीय प्रति फोटो स्टेट भविष्य में अस्पष्ठ या अपठनीय होती है तो पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

(7) यह कि उक्त सम्पत्तियॉ को भली प्रकार से समझने के लिये इस उपहार पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में पीले रंग से दर्शाया गया है। जो इस उपहार पत्र का एक अभिन्न अंग समझा जावेगा ।

Continued:....5...

Under 54 Endorsement

Print Date: 4/28/2026 2:33:41 PM

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रू 4662000 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रू 0 पर कमी पंजीयन शुल्क रू 1000, सरचार्ज राशि 0 कुल रू 1000 रसीद संख्या 202602024008384 दिनांक 24-04-2026 में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रू 0 के मुद्रांकों पर निष्पादित मानी जाता है।

202601024006246

Gift in favour of wife

उप पंजीयक SANGANER-I

उप पंजीयक
सांगानेर–प्रथम

Registration Endorsement

Print Date: 4/28/2026 2:33:11 PM

आज दिनांक 27/04/2026 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1564 में
पृष्ठ संख्या 111 क्रम संख्या 202603024105295 पर पंजीवद्व किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 5852 के
पृष्ठ संख्या 377 से 389 पर चस्पा किया गया।

202601024006246

Gift in favour of wife

उप पंजीयक, SANGANER-I

उप पंजीयक
सांगानेर–प्रथम

---

(8) यह कि उपहार की गई सम्पति पर आज दिन से वो समस्त स्वामित्व व मालिकाना अधिकार उपहार कर्ता के समान उक्त उपहार गृहिती को प्राप्त हो गये है, अब वह जिस प्रकार चाहे नवीन तामीरात करावे, पानी–बिजली कनैक्शन प्राप्त करे या उन्हें ट्रान्सफर करावे, स्वयं रहे, किसी को किराये पर देवे, रहन, विक्रय आदि करे, कहने का तात्पर्य उपहार गृहिती उक्त वर्णित भूमि पर एक मात्र स्वामीनी व मालिकनी के रूप में काबिज रहकर हर प्रकार से उपयोग व उपभोग कर लाभ अर्जित करने को स्वतन्त्र रहेगा ।

(9) यह कि इस उपहार पत्र के द्वारा उक्त सम्पतियॉ को उपहार गृहिती समस्त कार्यालय जैसे समिति कार्यालय, नगर निगम जयपुर, जयपुर विकास प्राधिकरण, जलदाय विभाग, विधुत विभाग, तहसील में राजस्व विभाग एंव अन्य सम्बन्धित विभागो में उक्त उपहार कर्ता के स्थान पर उपहार गृहिती अपना नाम अंकित करावे, उक्त तथ्यों के प्रति भविष्य में उपहार कर्ता के कहीं पर भी हस्ताक्षरो, गवाहो या स्वयं को उपस्थित होने की आवश्यकता होगी तो उपहार कर्ता उक्त भूमि से सम्बन्धित समस्त लिखित व मौखिक बयानात उक्त उपहार गृहिती के पक्ष में देने के लिये बाध्य रहेगा।

(10) यह कि ग्राम हुक्कण, तहसील चाकसू, जिला जयपुर के अन्तर्गत रूपान्तरित खसरा नम्बर 93, 94, 95, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 313, कुल किता 10 कुल रकबा 1.11 हैक्टयर संपूर्ण में से 60 प्रतिशत रूपान्तरित एरिया 7966 वर्गगज अर्थात 6660 वर्गमीटर संपूर्ण स्थित हैं। उक्त भूमि खाली अवस्था में है, तथा उक्त भूमि गांव की मुख्य आबादी से करीबन 1 किलोमीटर व लिंक रोड से करीबन 1 किलोमीटर एवं तहसील चाकसू से करीबन 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।

Continued:....6...

उप पंजीयक
सांगानेर–प्रथम

अतएवं यह उपहार पत्र साक्ष्य स्वरूप उपहार कर्ता (प्रथमपक्ष) एवं उपहार गृहिती (द्वितीयपक्ष) ने राजी खुशी पूर्ण होश हवास में बिना किसी अन्य व्यक्ति के दबाव या आग्रह के अपने परिवारजन की राय व स्वीकारोक्ति सहित ई–रजिस्ट्रेशन व छह ग्रीन पेपर कुल किता सात पर लेख्य करवाकर मजमुन को भली प्रकार से पढकर, सुनकर, समझकर सही स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी निम्न गवाहान के समक्ष कर दिये सो प्रमाण रहे तथा आवश्यकता के समय काम आवे ।इति। लेख्य दिनांक 23/04/2026 ईस्वी

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष (उपहार–कर्ता)   हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष (उपहार गृहिती)

गवाह (1)

हस्ताक्षरः

नाम श्री रामसिंह चौधरी पुत्र श्री गिरधारी लाल चौधरी जाति जाट
निवासी वार्ड नम्बर 06 अमरपुरा, जयपुर, जिला जयपुर।

गवाह (2)

हस्ताक्षरः

नाम श्री अनिल वर्मा पुत्र श्री रोशन लाल वर्मा जाति धोबी
निवासी 38, तिरूपति बालाजी नगर, खोकावास, सुख विहार कॉलोनी, प्रताप नगर सांगानेर जयपुर।

उप पंजीयक
सांगानेर–प्रथम

निष्पादक द्वारा उपलब्ध करवाये गये
दस्तावेजो के अनुसार प्रारूपकर्ता

अमरचन्द शर्मा
एडवोकेट
मो. नं. 9414644429 9829644429

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

C 168057

!!श्री!!

: विकय – पत्र :

आज दिनांक 21 मई 2015 ईस्वी को इस लेख्य पत्र में मै राजेश मीणा उम्र 40 वर्ष पुत्र श्री बत्तुलाल मीणा जाति मीणा निवासी 181, हिम्मत नगर ,गोपालपुरा मोड, जयपुर जिला जयपुर राजस्थान प्रान्त को विक्रेता प्रथमपक्षकार शब्द से सम्बोधित किया गया है,जिसमें इनके प्रान्त समस्त उत्तराधिकारियो, दायभागियो, स्थानापन्नों आदि को सम्मिलित समझा जावें की ओर से–

—2

उप पंजियक (जयपुर)

बहक क्रेता श्री संजय बाबेल उम्र 48 वर्ष पुत्र श्री जसवंत सिंह बाबेल जाति जैन निवासी सी-172, काशीपुरी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा राजस्थान प्रान्त को क्रेता द्वितीय पक्षकार शब्द से सम्बोधित किया गया है, के मध्य संपादित किया गया है ।

जो कि वाके ग्राम हुक्कण तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान प्रान्त के अंतर्गत अराजी खसरा नं0 93 रकबा 0.47 है0, खसरा नं0 94 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 95 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 98 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 99 रकबा 0.06 है0,खसरा नं0 100 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 103 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 104 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 105 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 313 रकबा 0.03 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 1.11 हैक्टेयर सम्पूर्ण की खातेदारी मेरे नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड अंकित व-स्थित है एवं उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ख उपधारा 3 के अंतर्गत नगरपालिका मंडल, चाकसू, जयपुर को सम्पर्पित किये जाने पर धारा 90 बी, भू राजस्व अधिनियम के तहत नगरपालिका मंडल, चाकसू जयपुर से मुताबिक् निर्णय रूपांतरित की जा चुकी है जिसका 40 प्रतिशत सड़क एवं सुविधा क्षेत्र नगरपालिका मंडल चाकसू, जयपुर का रहेगा एवं 60 प्रतिशत क्षेत्र अर्थात 7966.00 वर्गगज मुझ विक्रेता का है, जिसके पटटे मेरे द्वारा प्राप्त किंये जाना बाकी है । जिस पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 बी की उपधारा 6 के तहत मुझ विक्रेता के निहित हित सुरक्षित है, और जिस पर मेरा कब्ज़ा है, जिसका पुर्न आवंटन मुझको या मेरे द्वारा आवंटित सदस्यों/ निदेशित व्यक्तियों का किया जाना है ।

......3

उप पंजियक
चाकसू (जयपुर)

आज दिनांक 27 माह May सन् 2015 को 15:06 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री RAJESH MEENA पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BATTULAL MEENA
उम्र 40 वर्ष, जाति MEENA व्यवसाय ____________
निवासी HIMMAT NAGAR, GOPALPURA JAIPUR
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता (2015006209)

हस्ताक्षर उप पंजीयक, CHAKSU

उप पंजीयक चाकसू (जयपुर)

(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

कार्यालय उप पंजीयक चाकसू जिला जयपुर (राज.)

रसीद नं0 2015005778 दिनांक 27/May/15
पंजीयन शुल्क रू0 40000/-
प्रतिलिपि शुल्क रू0 300/-
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/
अन्य शुल्क रू0 0/
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 191870/-
सरचार्ज 19190/-
कुल योग रू0 [illegible]/

(2015008209) उप पंजीयक CHAKSU
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

उप पंजीयक चाकसू (जयपुर)

इस प्रकार उक्त वर्णित भूमि के संबंध में समस्त मालिकाना हक़ हकूक मुझ स्वयं को प्राप्त है तथा उक्त भूमि को आज पूर्व किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, फर्म आदि के हक़ में विक्रय रहन बैय बख्शीश, बंधक, हस्तांतरित आदि नहीं की हुई है, यह भूमि आज तक प्रत्येक प्रकार के झगड़ों टंटों आदि से मुक्त व पाक हैं । इस भूमि को हर प्रकार से विक्रय, आदि करने के लिए सम्पूर्ण अधिकार मुझ विक्रेता स्वयं को प्राप्त है । जिसके लिए मैं पूर्णतया स्वतंत्र हूँ ।

अतएव मुझ विक्रेता ने अपनी राजी ख़ुशी होश हवास मे बिना किसी अन्य व्यक्ति के दबाव या आग्रह के उक्त वर्णित खसरों में मेरे हक़ की 60 प्रतिशत रूपान्तरित भूमि एरिया 7966.00 वर्गगज सम्पूर्ण को समस्त मालिकाना, स्वामित्व, स्त्वाधिकारो सहित मय बोल, सोल, पानी, पुला, मेर, कोट, वृक्षादि सहित मुवलिग **रुपया** 40,00,000/- अक्षरे चालीस लाख रुपया मात्र नोट भारत सरकार के एवज मे बहक क्रेता **श्री संजय बाबेल उम्र 48 वर्ष पुत्र श्री जसवंत सिंह बाबेल जाति जैन निवासी सी-172, काशीपुरी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा राजस्थान** प्रान्त के हक़ में अंतिम रूप से विक्रय कर दिया है, अर्थात बैच दिया है तथा प्रतिफल विक्रय की सम्पूर्ण धनराशि चुकती जरिये आर.टी.जी.एस. दिनांक 14.05.2015 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के द्वारा मुझ विक्रेता ने उक्त क्रेता से प्राप्त कर लिए है । अब कुछ भी राशि लेनी शेष नहीं रही है तथा उक्त वर्णित विक्रय की गई भूमि संपूर्ण का कब्ज़ा मौके पर वास्तविक रूप से क्रेता का करवा दिया है अर्थात संभला दिया है, अब क्रेता जिस प्रकार चाहे इसका उपयोग व उपभोग कर लाभान्वित होवें । इस संबंध में मेरा व मेरे अन्य उत्तराधिकारियों आदि का किसी प्रकार का विरोध या एतराज मान्य नहीं है एवं ना ही भविष्य मे होगा।

.....4

उप पंजियक
(जयपुर)

उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant)
1-RAJESH MEENA/ BATTULAL MEENA
Age:40, Caste-MEENA
Ocu.-
R/O-HIMMAT NAGAR, GOPALPURA JAIPUR

(And Claimant)
1-SANJAY BABEL/JASWANT SINGH BABEL
Age:48, Caste-JAIN
Ocu.-
R/O-KASHIPURI BHEELWARA

ने लेखपत्र SALE DEED (CONVEYANCE DEED)
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
प्रतिफल राशी रू0 4000000/- पूर्व में/मेरे
समक्ष/ने से रू0 4000000/-पूर्व में ____________
बाते नगद प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1 श्री / श्रीमती / सुश्री MUKESH
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री SHREEMAN MEENA उम्र 0 वर्ष
जाति MEENA व्यवसाय
निवासी TODABHEAM,KAROULI

2. श्री / श्रीमती / सुश्री RAMSINGH
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री DHUNDHIRAM उम्र 30 वर्ष
जाति MEENA व्यवसाय
निवासी BAMANWAS ने की है जिनके

उपरोक्त हस्ताक्षर एवं अंगूठा के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं

(2015008208)
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

उप पंजीयक, CHAKSU
चाकसू (जयपुर)

कार्यालय उपपंजीयक चाकसू * जिला जयपुर (राज.)

मुकेश

रामसिंह

(4)

यह कि उक्त वर्णित विक्रय की गई संपरिवर्तन आवासीय खाली भूमि संपूर्ण आज पूर्व के समस्त सरकारी अर्द्ध सरकारी ,जन साधारण के ऋणों भारो बंधनो जमानतो आदि से पूर्णतया मुक्त व पाक है तथा हर प्रकार के झगडो टंटो आदि से शुद्ध एवं पवित्र है। इसमे मुझ विक्रेता के अलावा अन्य कोई साझी व हिस्सेदार नही है, अगर भविष्य मे कोई साझी व हिस्सेदार उत्पन्न होकर किसी प्रकार का दावा अथवा विवाद पैदा करेगा तो उसका संपूर्ण निपटारा मुझ विक्रेता खातेदार स्वंय के धन व श्रम से किया जावेगा । इस संबंध में मेरा व मेरे अन्य उत्तराधिकारियो आदि का किसी प्रकार का विरोध या एतराज मान्य नही होगा।

यह कि उक्त वर्णित विक्रय की गई संपरिवर्तन भूमि संपूर्ण आवासीय उपयोग की खाली भूमि है तथा उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई निर्माण आदि किया हुआ नही है, जो गांव की मुख्य आबादी से करीबन 1, कि.मी. व लिंक रोड से करीबन 1 कि.मी. एवं तहसील से करीबन 10 कि.मी. दूर स्थित है तथा इसकी मालियत जरिये विकय पात्र कीमती से अधिक नही है तथा विक्रय पत्र के निष्पादित संबंधी समस्त व्यय भार केता स्वंय ने अपने पास से वहन किया है।

——5

उप पंजियक
[illegible] (जयपुर)

(5)

अतएव यह विक्रय पत्र मुझ विक्रेता ने अपनी राजी खुशी होश हवास मे बिना किसी अन्य व्यक्ति के दबाव या आग्रह के एक मुद्रांक कीमती 500/- रूपया व चार पेपर पर बहक क्रेता के हक मे लेख्य कर दिया सो सही है तथा इसको पढकर,सुनकर समझकर सही स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर/निशानी निम्न गवाहान के समक्ष कर दिये सो प्रमाण रहे तथा आवश्यकता के समय काम आवें । इति लेख्य दिनांक 27 मई 2015 ईस्वी।

हस्ताक्षर क्रेता :-
पेन नं0 ALEPB6359E

हस्ताक्षर विक्रेता :-
पेन नं0 ....

गवाह-1 श्री सुरेन्द्र मीणा उम्र 33 वर्ष पुत्र श्री [illegible] मीणा जाति मीणा
निवासी [illegible] जिला करौली ।

गवाह-2 श्री सुरेन्द्र रामसिंह उम्र 30 वर्ष पुत्र श्री धुन्धीराम जाति मीणा
निवासी बामनवास जिला-सवाई माधोपुर ।

उप पंजीयक
[illegible] (जयपुर)

न्यायालय, प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चाकसू (जयपुर)

प्रकरण संख्या 01/2011

सार्वजनिक नोटिस

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 90 (ख) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 राजेश पुत्र बत्तुलाल जाति मीणा निवासी 181, हिम्मत नगर, गोपालपुरा मोड जयपुर।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदार जिनका विवरण निम्न प्रकार है ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसील चाकसू के ग्राम हुक्कण के खसरा नम्बर 93, 94, 95, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 313 कुल किता 10 कुल रकबा 1.11 है0 भूमि नगरपालिका चाकसू के पैराफेरी क्षेत्र में स्थित है, को आवासीय प्रयोजनार्थ (90बी) करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र एवं समर्पणनामे आदि प्रस्तुत कर नियमानुसार उनकी भूमि धारा 90 ख (3) राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 63 (11) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राज्य सरकार नगरपालिका चाकसू के हक में समर्पण स्वीकार करने का निवेदन किया है।

खातेदार का विवरण :-

नाम खातेदार	खसरा नं. हुक्कण	रकबा
राजेश पुत्र बत्तुलाल जाति मीणा निवासी 181, हिम्मत नगर, गोपालपुरा मोड जयपुर।	93	0.47
	94	0.06
	95	0.04
	98	0.08
	99	0.06
	100	0.05
	103	0.07
	104	0.02
	105	0.23
	313	0.03
	कुल किता 10	1.11 है0

अतः इस कार्यालय के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि का समर्पण राज्य सरकार (न. पा. चाकसू) के हक में स्वीकार किये जाने के सबंध में कोई आपत्ति हो तो आपत्ति व साक्ष्य सहित दिनांक 17/01/11 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर कार्यालय समय में प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त दिनांक तक आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा में प्रकरण में निर्णय ले लिया जावेगा।

नोटिस दिनांक 10/01/11 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

प्राधिकृत अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)

F:\S.D.M. OFFICE CHAKSU\90 B\New Folder\LATTERS 45.doc

अधिकारी, चाकसू का बताया है, फिर भी और आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु इस कार्यालय से सार्वजनिक विज्ञप्ति समाचार पत्रिका राजस्थान पंजाब केसरी दिनांक 14 जनवरी 2011 में उक्त खसरा नम्बरों का प्रकाशन कराया गया, जिसमें आज दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

नाम खातेदार	खसरा न. हुवकण	रकबा
राजेश पुत्र बत्तुलाल जाति मीणा निवासी 181, हिम्मत नगर, गोपालपुरा मोड जयपुर।	93	0.47
	94	0.06
	95	0.04
	98	0.08
	99	0.06
	100	0.05
	103	0.07
	104	0.02
	105	0.23
	313	0.03
	कुल किता 10	1.11 हे0

उक्त समर्पण स्वीकार किये जाने के परिणामस्वरूप खातेदार की खातेदारी का पर्यावसान होकर धारा 90 बी (ख) एंव 6 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 63 (II) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उक्त भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के हक में पुर्नगृहीत किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार चाकसू, उक्त तालिका में वर्णित भूमि से खातेदार के नाम की खातेदारी खारिज कर आवासीय प्रयोजनार्थ नगरपालिका चाकसू के नाम दर्ज किया जावे। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार चाकसू को नगर पालिका के नाम नामान्तकरण दर्ज करने हेतु भेजी जावे। निर्णय सुनाया गया व मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम ढूंढला पटवार हल्का ढूंढला भू. अ. निरीक्षक हल्का चाकसू तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान 88

वर्तमान जमाबन्दी (खतौनी) में शुद्धि किये जाने के लिये प्रस्तावित प्रविष्टि							जमाबन्दी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिये प्रस्तावित नई प्रविष्टि									
प्रविष्टि का क्रम संख्या	जमाबन्दी के खातों की संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूदा (भूमि) वर्गीकरण	राजस्व या लगान	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	नयी खेवट संख्या	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूदा (भूमि) वर्गीकरण	राजस्व या लगान	विक्रय की दशा में कीमत सहित रजिस्ट्रीकरण का स्वरूप तथा तारीख, ... की दशा में ... रजिस्ट्रीकरण की तारीख या मौखिक की तारीख, उत्तराधिकार नामान्तरकरण ...	शुल्क तथा दान-पत्रों की कम संख्या जिस पर मांग नियत की गई है	टिप्पणियां इसके बाद के बारे में ... पटवारी की रिपोर्ट ... भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
96	5	किता 10	1.11		8.88	कल्याण पुत्र इन्द्राज जाति मीणा सा. देह खातेदार।	121/2068	राजेश पुत्र बदुलाल जाति मीणा सा. 181 हिम्मत नगर, गोपालपुरा मोड़ जयपुर खातेदार। [illegible] तहसीलदार (भू.अ.) चाकसू, जिला-जयपुर	किता 10	1.11		8.88	विक्रय-पत्र दि. 28-11-07 पु. सं. 1 जि. सं. 139 पृ. सं. 112 क्रम संख्या 200702290 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अति. पु. सं. 1 जि. सं. 355 के पृ. सं. 69 से 76 पर चस्पा किया गया/ उप पंजीयक चाकसू	10/-	श्रीमानजी, मुताबिक विक्रय-पत्र के कल्याण ने संपूर्ण कृषि विक्रय करने पर क्रेता के हक में नामान्तरकरण खोलने पेश है। [illegible] 1-12-07

[illegible] नामान्तरकरण [illegible] विक्रय-पत्र के आधार पर [illegible] 4/12/07

कार्यालय नगर पालिका चाकसू जिला जयपुर (राज0)

क्रमांक: न.पा.चा./2024–25/ 7188 दिनांक:– 01/01/2026

लेआउट प्लान समिति बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 01/01/26....... को लेआउट प्लान समिति की बैठक अध्यक्ष महोदय के कक्ष में आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1. डॉ. बनवारी लाल मीना, अधिशाषी अधिकारी–सदस्य सचिव
2. श्री सतीश कुमार मीना, सहायक अभियन्ता–सदस्य
3. श्री चौथमल मीना, वरिष्ठ प्रारूपकार–सदस्य

विचारणीय बिन्दु :–1

1. लेआउट प्लान अनुमोदन महादेव नगर आवेदक श्री संजय बाबेल पुत्र श्री जसंवत सिंह बाबेल निवासी सी–1 काशीपुरा भीलवाडा जिला भिलवाडा राजस्थान का राजस्व ग्राम –हुक्कण तह. चाकसू जिला जयपुर खसरा सं. 93, 94, 95, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 313 कुल किता 10 कुल रकबा 11039. 70 वर्गमीटर।

कमेटी द्वारा प्रस्तुत लेआउट प्लान का अवलोकन किया गया एवं इस पर टाउनशिप पॉलिसी 2010 तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में विचार विमर्श किया गया। कमेटी के समक्ष इस लेआउट प्लान के निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए है :–

1. यह योजना 2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल की है, जिसका कुल क्षेत्रफल 11039.70 वर्गमीटर है।
2. कुल विकय योग्य क्षेत्रफल 60.44 प्रतिशत प्रस्तावित किया है, जिसमें 57.92 प्रतिशत आवासीय, 2.52 प्रतिशत इनफोर्मल कॉमर्शियल, 5.01 प्रतिशत पार्क, 0.66 प्रतिशत एसडब्ल्यूएम, 0.21 प्रतिशत मोबाईल टॉवर/जनुपयोगी सुविधाएं तथा 33.69 प्रतिशत सडको हेतु प्रस्तावित किया है।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान सं. 1ए के अनुसार निजि विकासकर्ता को कुल आवासीय विकय योग्य क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी हेतु आरक्षित किया जाना आवश्यक है, प्रस्तावित योजना में इस हेतु भूखण्ड आरक्षित नहीं किये है। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान संख्या 1ए1 के अनुसार विकय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत की कीमत आवेदक से जमा करवायी जा सकती है।
4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार सुविधा क्षेत्र 2 हैक्टेयर से कम की योजनओं में पार्क एवं सुविधा हेतु कुल 5 प्रतिशत होना आवश्यक है, जिसकी पालना प्रस्तावित प्लान में की गयी है।
5. प्रस्तावित योजना में सडको हेतु 33.69 प्रतिशत क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया है। टाउनशिप पॉलिसी (10 हैक्टेयर तक) के बिन्दु संख्या 4.02 के अनुसार 02 हैक्टेयर की योजनओं में खुला/पार्क/सडक/सुविधा आदि क्षेत्र 40 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत रखा जा सकता है।
6. प्रस्तावित योजना को 40 फीट का पहुंच मार्ग डब्ल्यूबीएम रोड से प्राप्त होता है।
7. प्रस्तावित योजना के उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर कमेटी द्वारा विचार विमर्श किया गया कमेटी की राय में योजना में आवासीय, इन्फोर्मल कॉमर्शियल, सुविधा क्षेत्र (सडक, पार्क, एसडब्ल्यूएम, मोबाईल टॉवर आदि) हेतु आरक्षित किये गये क्षेत्रफल राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 (10 हैक्टेयर तक) तथा तकनीकी मापदण्डों से संगतता रखते है। अतः कमेटी द्वारा ईडबल्यूएस/एलआईजी के पेटे विकय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत राशि डीएलसी/आरक्षित दर से जमा करवाने तथा आन्तरिक विकास के पेटे 12.5 प्रतिशत भूखण्ड रहन रखते हुए प्रस्तावित लेआउट प्लान का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(सतीश कुमार मीना)	सी.एम. मीना (चौथमल मीना)	(डॉ बनवारी लाल मीणा)
सहायक अभियन्ता सहायक अभियन्ता–सदस्य	वरिष्ठ प्रारूपकार वरिष्ठ प्रारूपकार–सदस्य	अधिशाषी अधिकारी अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका चाकसू	नगर पालिका चाकसू	नगर पालिका, चाकसू

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- हुक्कण
पटवार हल्का :- हुक्कण
भू.अभि.नि. :- निमोड़िया
तहसील :- चाकसू
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2076-2079 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 181
खाता संख्या पुराना :- 177

काश्तकार का नाम:-

1. नगरपालिका चाकसू हिस्सा- पूर्ण .. संस्था के लिए,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
100	0.0500	बारानी 2	0.0500	0.40			
103	0.0700	बारानी 2	0.0700	0.56			
104	0.0200	बारानी 2	0.0200	0.16			
105	0.2300	बारानी 2	0.2300	1.84			
313	0.0300	बारानी 2	0.0300	0.24			
93	0.4700	बारानी 2	0.4700	3.76			
94	0.0600	बारानी 2	0.0600	0.48			
95	0.0400	बारानी 2	0.0400	0.32			
98	0.0800	बारानी 2	0.0800	0.64			
99	0.0600	बारानी 2	0.0600	0.48			
कुल खसरे - 10	1.1100		1.1100	8.8800			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है |
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है |
नकल जारी करने की तिथि :- 13-Jun-2026